कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या 23 /एल0बी0ए0–2023 दिनांक 05 जुलाई, 2023

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–196/2023 Sumrit Dutta Vs. State of Uttarakhand Respondent में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।

Shri. Rahul Verma
Advocate (L.L.M.)
Supreme Court Of India
Additional Advocate General
State Of Uttarakhand
137, Tower No. 10,
Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–683/2023/266 दिनांक 22.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उल्लिखित हैं कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–196/2023 Sumrit Dutta Vs. State of Uttarakhand Respondent में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के संबंध में हैं। प्रकरण न्यू देवभूमि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 173, न्यू हरिद्वार कॉलोनी, ज्वालापुर, हरिद्वार के निजी अस्पताल के मालिक द्वारा मेडिकल वेस्ट को आसपास के क्षेत्र में जलाया जा रहा हैं और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के प्रावधानों के अनुसार इसका प्रबंधन और निपटान नहीं किया जा रहा हैं के संबंध में हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण पर नियमानुसार निरीक्षण करते हुए उपचारात्मक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया हैं:–

1– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2– जिलाधिकारी, हरिद्वार।

इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार को नामित किया गया। नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार एवं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी द्वारा दिनांक 01.06.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अतः दिनांक 01.06.2023 को उक्त समिति द्वारा किए गए संयुक्त स्थलीय निरीक्षण की संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न–यथोक्त।

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
05/07/23

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46बी0 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0-147(47)/2023/435 दिनांकः 30.06.2023

पंजीकृत डाक द्वारा

"मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण"

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन 46-बी0, आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 196/2023 **Sumrit Datta Vs. State of Uttarakhand** में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 196/2023 Sumrit Datta Vs. State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुक्रम में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा प्रकरण पर स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.06.2023 को किया गया। प्रकरण मूलतः मै0 देवभूमि अस्पताल, 173, न्यू हरिद्वार कालोनी, ज्वालापुर, हरिद्वार के निजी मालिक द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम- 2016 के प्रावधानों के अनुपालन न किये जाने विषयक है।

संयुक्त निरीक्षण में सम्बन्धित अस्पताल द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम- 2016 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। उक्त अस्पताल द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया गया है। उपरोक्त प्रकरण पर संयुक्त निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित् है।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष चन्द पंवार)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः-

1. **जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार** को उनके कार्यालय के पत्रांक सं0- 895/एल0बी0ए0-2023 दिनांक 23.05.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** को इस अनुरोध के साथ की मा0 जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार के पत्रांक सं0- 895/एल0बी0ए0-2023 दिनांक 23.05.2023 के क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगें।
3. **नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार** को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

मा० एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन सं०- 196/2023 समरत दत्ता बनाम उत्तराखण्ड शासन में दिनांक 28.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्याः-

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 23.05.2023 को गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय निम्न सदस्य उपस्थित रहेः-

1. श्रीमती नुपुर वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
2. श्री आर० के० सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
3. श्री सुभाष चन्द पंवार, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की।
4. डा० सुशील शर्मा, महा प्रबंधक देवभूमि हास्पिटल, 173, न्यू हरिद्वार कालोनी, जिला-हरिद्वार।
5. श्री समरत दत्ता, शिकायतकर्ता।

- प्रकरण शिकायतकर्ता समरत दत्ता निवासी 173, न्यू हरिद्वार कालोनी, हरिद्वार द्वारा अपने आवास के समीप संचालित मै० देवभूमि हास्प्टिल के विरूद्ध है, जिसमें शिकायतकर्ता श्री सुमरित दत्ता द्वारा अस्पताल द्वारा बायोमेडिकल अपशिष्ट जलाये जाने तथा अस्पताल परिसर से बाहर सफाई के दौरान जनित धूल के विषयक है।
- सम्बन्धित विषयक स्थलीय निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री समरत दत्ता से सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अस्पताल द्वारा सड़क पर झाडू लगाने के कारण धूल उड़कर घर पर आ रही है, जिस कारण उनके स्वास्थय पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जबकि बायोमेडिकल अपशिष्ट जलाये जाने की वर्तमान में कोई शिकायत नही है।
- अस्पताल प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अस्पताल के बाहर सड़क पर सफाई कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है तथा पार्किंग हेतु अलग से प्लाट क्रय किया गया है। अस्पताल से किसी भी अन्य पड़ोसी को कोई परेशानी नही है इसी क्रम में प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अस्पताल के विरूद्ध विभिन्न विभागों में लगातार शिकायतें की जा रही हैं।
- शिकायतकर्ता का घर अस्पताल के दक्षिण दिशा में 20 फीट दूरी पर स्थित है। हास्पिटल के पूरब व दक्षिण दिशा में कालोनी की सड़क है। सड़क के दोनों ओर आवासीय भवन निर्मित है।
- अस्पताल के निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम- 2016 में उल्लेखित प्राविधानों के तहत Source Segregation का कार्य नियमतः किया जा रहा है तथा बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण मानकों के अनुरूप Common Bio-Medical Waste Treatment and facility के माध्यम से किया जा रहा है। अस्पताल से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीवर लाईन के माध्यम से किया जा रहा है। अस्पताल में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया उत्सर्जन नही होती है। अस्पताल को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम- 2016 के तहत प्राधिकार व सहमति मार्च- 2024 तक निर्गत है। उक्त अस्पताल राज्य सरकार में Clinical Establish Act के तहत् पंजीकृत है।
- मै० देवभूमि अस्पताल प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि अस्पताल परिसर से बाहर सड़क पर किसी भी प्रकार की सफाई का कार्य नही करेगा। यदि आवश्यकता हुई तो पानी छिड़काव के उपरान्त ही सफाई का कार्य किया जाएगा। अस्पताल को एतिहातन तोर पर सफाई कार्य किये जाने से पूर्व जल छिड़काव हेतु निर्देशित् किया गया। **(निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है)।**

उपरोक्त निरीक्षण एवं दोनों पक्षों की वार्ताक्रम में प्रतीत होता है, कि उक्त दोनों पक्षो में आपसी विवाद है, जबकि अस्पताल द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम- 2016 में निहित प्राविधानों का पालन किया जा रहा है जिस हेतु हास्पिटल को प्राधिकार व सहमति प्राप्त है।

(सुभाष चन्द पंवार)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

(डा० आर० के० सिंह)
उप मुख्य चिकित्साधिकारी,
हरिद्वार

1/06/2023
(नुपुर वर्मा)
नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

न्यू देव भूमि हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सैन्टर